

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
06/2024

दायर दिनांक
18.01.2024

निर्णय दिनांक
26.02.2024

उनवान

1. गटू पत्नी श्रीचन्द जी जाट आयु 75 वर्ष निवासी सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. नन्द लाल पुत्र श्रीचन्द जी जाट आयु 53 वर्ष निवासी सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. मथुरा लाल पुत्र श्रीचन्द जी जाट आयु 50 वर्ष निवासी सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. गोपाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाट आयु 50 वर्ष निवासी सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. जगदीश चन्द्र पुत्र श्री रामचन्द्र जाट आयु 50 वर्ष निवासी सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. बरदी पत्नी श्री रामचन्द्र जाट आयु 50 वर्ष निवासी सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. शंकर लाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाट आयु 50 वर्ष निवासी सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. लाला पुत्र श्री नन्दा कुम्हार आयु वयस्क निवासी कोटड़ी चौराहा नहर के पास, सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा


-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी पृथ्वीराज चौधरी
अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सुवाणा प0ह0 सुवाणा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 660 की अभिलिखित आराजियात 2375/1 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2655 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 661 में आराजी नम्बर 2377 रकबा 0.0632 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।


इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं।

वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि के सीमाचिन्ह नहीं होने से पत्थरगढ़ी करवाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा सुवाणा प0ह0 सुवाणा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 660 की अभिलिखित आराजियात 2375/1 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2655 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 661 में आराजी नम्बर 2377 रकबा 0.0632 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आब्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा